



**HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT INDORE**

**FORM –‘E’**

**Form of supply of the Information to the applicant**

**(See Rule 4(3))**

**No.RTIA/JR(M)-HCIND/ 2410**

**Indore, Dated 24.08.2022**

From:

The Joint Registrar (M),  
State Public Information Officer,  
High Court of M.P. Bench at Indore.

To,

Mr. Bhagwan Singh Rajput  
S/o. Shri Gopal Singh Rajput,  
Address- Gram Devari Mulla,  
P.O.-Bijana, Tehsil-Mohan Badodiya,  
Devari Mull, District-Shajapur (M.P.)  
Mob. No.-9303446496

Please refer to your application dated NIL received vide Inward No. 2332 dt. 25.07.2022 registered at our I.D. No. 36/2022-23, dt. 25.07.2022 addressed to the undersigned regarding supply of information under Right to Information Act, 2005 :-

“चाही गई जानकारी का विवरण – “दिनांक 18/04/2022 को दिये गये आवेदन पत्र पर किया कार्यवाही कि गई जानकारी लिखित में देवे एवं दिनांक 09/05/2022 को दिये गये आवेदन पत्र पर क्या कार्यवाही की लिखित में देवे एवं न्यायालय प्रथम अतिरिक्त जिला जज महोदय शाजापुर के प्रकरण क्रमांक 47ए/04 X 02/07 का अभिलेख भेजे जाने के संबंध में जानकारी लिखित में देवे”

In this regard, report dated 24.08.2022 furnished by M.A. Section is as under :-

आवेदक श्री भगवान सिंह राजपूत द्वारा आर.टी.आई. में मांगी गई जानकारी के संबंध में दिनांक 02/05/2022 व दिनांक 02/08/2022 की प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर द्वारा हस्ताक्षरित नोट-शीट जिनके अनुसार प्रार्थी भगवान सिंह के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र नस्तीबध्द करते हुये संबंधित अधिनस्थ न्यायालय को इस संबंध में एक सूचना पत्र के माध्यम से आपको यह अवगत कराने हेतु आदेशित किया गया है कि आप म.प्र. उच्च न्यायालय, खण्डपीठ इन्दौर को बार-बार अधिनस्थ न्यायालय का रेकार्ड लौटाने संबंधी पत्र प्रेषित ना करें क्योकि प्रकरण विविध अपील क्रमांक 389/2009 इस खण्डपीठ में अभी विचाराधीन हैं।

**As per Section 19 of the Right to Information Act, 2005, you may file an appeal to the Appellate Authority (Principal Registrar, High Court of M.P., Indore Bench) within 30 days of the issue of this order.**

(RAJESH KUMAR SHARMA)  
JOINT REGISTRAR (M)/

STATE PUBLIC INFORMATION OFFICER,  
HIGH COURT OF M.P. BENCH AT INDORE